<u>हितकारी निधि</u>

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार की सहायतार्थ हितकारी निधि नियम 1975 प्रसारित किए गए। इस योजना में समस्त वर्ग के कार्मिकों (पुरुष/महिला) द्वारा निर्धारित दर से वार्षिक अंशदान दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का संचालन आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। कार्मिकों से निर्धारित दर से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से लिये जाने का प्रावधान है। प्राप्त राशि से ही कार्मिक के निधन पर उनके आश्रितों को व गम्भीर बीमारी पर स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य को सहायता दी जाती है। प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढ़ोतरी भी होती रहती है। इस योजना में कर्मचारी के निधन पर 7000/— रूपये दुर्धटना में मृत्यु पर 10,000/— रू., गंम्भीर बीमारी पर 5,000/— रुपये एवं कर्मचारी के बच्चों को तकनीकी / प्रोफेशनल शिक्षा के अन्तर्गत 1,500/— से 2,500/— रुपये तक की सहायता दी जाती है ।

01.04.2008 से 31.12.2009 तक की प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	विवरण	प्रकरण संख्या	राशि
1	कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	62	4,33,900 रुपये
2	बीमारी पर सहायता	10	50,000 रुपये
3	व्यावसायिक शिक्षा	4	8,500 रुपये

शिक्षक कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठानः–

भारत सरकार द्वारा अध्यापकों के कल्याणार्थ एवं विपन्नावस्था में उनके एवं उनके परिवार की सहायतार्थ चेरिटेबल एण्डोनमेन्ट एक्ट, 1890 के अन्तर्गत वर्ष 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। राजस्थान में इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 1966 में हुआ। प्रतिष्ठान में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर झंडियों की बिक्री का शुभारम्भ कर राशि एकत्रित की जाती है। प्राप्त धनराशि का दस प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को जाता है तथा शेष 90 प्रतिशत राशि राज्य में स्थित राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, राजस्थान, बीकानेर को प्राप्त होकर राज्य के शिक्षकों के कल्याणार्थ व्यय की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार, नई दिल्ली के कोष हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25,000/– रुपये का अनुदान दिया जाता है। राज्य में कोष का संचालन राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर समिति के पदेन सचिव–कोषाध्यक्ष होते हैं। इस योजना में शिक्षक के निधन पर 5,000/– रुपये राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, बीकानेर द्वारा सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली की योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षकों के 100 बच्चों को अध्ययनार्थ 15,000/– रुपये प्रतिवर्ष तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान प्राप्त शिक्षकों को भारत में भ्रमण सुविधा का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आने–जाने का द्वितीय श्रेणी रेल किराया तथा 14 दिवस का दैनिक भत्ता 200/– रुपये प्रतिदिन से देय है।

1.4.2008 से 31.12.2008 तक की प्रगति रिपोर्ट–

क्र. सं.	विवरण	प्रकरण संख्या	राशि
1	शिक्षकों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	52	2,60,000 रुपये
2	भारत सरकार द्वारा अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायता	88	12,62,325 रुपये

शिक्षक सदन :–

शिक्षक सदनों का निर्माण भी प्राप्त राशि के आधार पर करवाया जाता है। वर्तमान में इस कोष से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर कोटा एवं अजमेर मंडल मुख्यालयों पर शिक्षक सदनों का निर्माण हो चुका है।

प्रकाशन

शिविरा पत्रिका का प्रकाशन हर महीने नियमित रूप से किया जाता है । इस पत्रिका ने राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पत्रिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है । इसमें राजस्थान के लेखक ही नहीं, वरन् अन्य राज्यों के शिक्षकों एंव लेखकों की रचनाएँ भी प्रकाशित होती रहती हैं । इसके माध्यम से शैक्षिक आलेख, शोध, देश–विदेश की शैक्षिक गतिविधियां, पुस्तक समीक्षा, महत्वपूर्ण आदेश, परिपत्र आदि विद्यालयों में अध्यापकों तक पहुंचते हैं । इसके प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, जनसंख्या शिक्षा, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, मानवाधिकार, एस.यू.पी.डब्ल्यू., कला शिक्षा, शिक्षक दिवस, शिक्षा एंव शिक्षा की गुणवत्ता आदि विशेषांक पाठकों द्वारा सराहा गया है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 22,000 है ।

नया शिक्षक/टीचर टुडे (त्रैमासिक) भी प्रकाशित किया जाता है । इस द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी) पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बनाई है । इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक रचनाओं को स्थान मिलता है । इसमें चिन्तनपरक शोध, आलेखों के साथ–साथ नवीनतम दस्तावेज, पुस्तक समीक्षा, देश–विदेश के शैक्षिक समाचार प्रकाशित होते हैं । इसकी प्रसार संख्या लगभग 15,000 है ।

"शिक्षक दिवस प्रकाशन" के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण माहामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों के लेखक विभाग के शिक्षक व कर्मचारी ही होते हैं। इनका सम्पादन राष्ट्रीय स्तर के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों से करवाया जाता है। इस कम में वर्ष 2009 में पॉच पुस्तकें प्रकाशित की गई। इस श्रृंखला में वर्ष 1967 से अब तक 216 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।